संख्या-3/2018/543/ 43-1-2018

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण वितरण अधिकारी,
प्रशासनिक सुधार विभाग,
उ०प्र० शासन।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 11 अप्रैल, 2018

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र० के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रशासनिक सुधार निदेशालय के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित निम्न विवरणानुसार रु० 1,29,49,000 (रुपए एक करोड़ उनतीस लाख उडनचास हज़ार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखें जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(रूपये लाख में)

मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	91.64	91.64
03- मंहगाई भत्ता	9.16	9.16
04- यात्रा व्यय	0.50	0.50
06- अन्य भत्ते	3.00	3.00
07- मानदेय	0.05	0.05
08- कार्यालय व्यय	0.50	0.50
11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	0.30	0.30
12- कार्यालय फर्नीचर एव उपकरण	0.20	0.20
13- टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.20
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	4.00	4.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
42- अन्य व्यय	0.10	0.10
45- अवकाश यात्रा व्यय	0.40	0.40

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

46- कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	9.00	9.00
47- कंप्यूटर अनुरक्षण/तदसबन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.50	0.50
49- चिकित्सा व्यय	1.20	1.20
51- वर्दी व्यय	0.15	0.15
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	4.59	4.59
योग	**129.49**	**129.49**

(रूपये एक करोड़ उनतीस लाख उनचास हज़ार मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों एवं वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखा शीर्षक "2052-सचिवालय-सामान्य सेवायें-091-संलग्न कार्यालय-04-प्रशासनिक सुधार निदेशालय" के सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहीत अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4-संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार (लेखा), उ0प्र0 शासन।
7-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनु-1/2 उ0प्र0 शासन।
8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0आर0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in